

प्रेषक,

एच०एल० गुप्ता,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में

जी विजय पाठ्य16.02.2015

(1) निदेशक,

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,

उ०प्र०, लखनऊ।

(2) सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

उ०प्र०, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-11

लंखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2014

विषय:- उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (य०पी० टी०ई०टी०) के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-976 / 15-11-2013-2750 / 2012, दिनांक 17.04.2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (य०पी० टी०ई०टी०) सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (य०पी० टी०ई०टी०) का संचालन/आयोजन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (य०पी० टी०ई०टी०) के मार्गदर्शी सिद्धान्त/समय-सारिणी संलग्न कर जारी किये जा रहे हैं।

3- उक्त परीक्षा संस्था के रूप में नामित सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों/अनुभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कृपया संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों/समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा एवं अन्य व्यवस्थायें सम्पन्न कराते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रगति से समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें। विशेष परिस्थितियों में अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मानकों के पुनर्निर्धारण किये जाने पर शासन की अनुमति लेना आवश्यक एवं अपरिहार्य होगा।

✓ संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

*km*

(एच०एल० गुप्ता)

सचिव।

संख्या-1742(1) / 165-11-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

3- राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।

4- निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।

5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।

- 6- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त अनुभाग, शिक्षा विभाग।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या—1742 / 15—11—2014—2750 / 2012, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक  
यूपीटी0टी0ई0टी0 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

**1- पृष्ठभूमि और तर्क आधार**

- (1) बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23—अगस्त, 2010 और दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा I से कक्षा VIII तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—2 (एन) में दिये गये विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 946 / 15—11—2013—2750 / 2012 दिनांक 17.04.2013 के द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया गया जिसके अनुसार परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम बार 27 व 28 जून 2013 को सम्पन्न कराकर उसका परीक्षाफल दिनांक 13 अगस्त 2013 को तथा द्वितीय बार परीक्षा दिनांक 22. व 23 फरवरी 2014 को सम्पन्न हुई इसका परिणाम दिनांक 24.05.2014 को घोषित किया जा चुका है। गत परीक्षा में आने वाले कठिनाइयों के दृष्टिगत विभिन्न संशोधित शासनादेश जारी किये गये थे इसको समाहित करते हुए एक समेकित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जाना आवश्यक है जिसमें एनसीटीई0 द्वारा दिनांक 11.02.2011 को जारी गार्ड लाइन के अनुसार भाषा शिक्षक के लिए अलग से अलग पात्रता परीक्षा न कराकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु चार प्रश्न—पत्रों के स्थान पर दो प्रश्न पत्र कराये जाने की व्यवस्था होगी। अतः पूर्व में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त को अतिक्रमित करते हुए नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जा रहा है।
- (3) एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है :—
- यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा।
  - यह शिक्षा संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों में आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा।
  - इससे सभी सम्बन्धित को एक सकारात्मक संकेत जायेगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है।
- (4) परीक्षा आयोजित कराने हेतु संस्था का निर्धारण एवं कार्य दायित्वः—
- (1) शासनादेश संख्या 946 / 15—11—2013—2750 / 2012 दिनांक 17 अप्रैल 2013 के पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अतिक्रमित करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के संचालन/आयोजन की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी गयी है।

- (2) परीक्षा संस्था के रूप में नामित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों/अनुभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ही प्रश्नपत्रों का निर्माण, मुद्रण व परीक्षाफल तैयार कराया जायेगा तथा इस हेतु एजेन्सी का चयन तथा पारिश्रमिक की दरें भी तय की जायेंगी।

## **2- संक्षिप्त नाम**

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त “उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2014” (यूपीटीईटी) के रूप में जाने जायेंगे।

## **3- परिभाषाएं**

- “सरकार” का आशय “उत्तर प्रदेश सरकार” से है।
- “विद्यालय” का आशय ऐसा कोई विद्यालय जहाँ आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यूपीटीईटी लागू है।
- “यूपीटीईटी” का आशय “उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट” से है।
- “अहंक परीक्षा” का आशय “परीक्षा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हो जाता है”।
- “मार्गदर्शी सिद्धान्त” का आशय “उत्तर प्रदेश सरकार के निदेश के तहत यूपीटीईटी के आयोजन हेतु विनिर्दिष्ट सिद्धान्त” से है।
- “अनुसूचित जाति” का आशय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति” से है।
- “अनुसूचित जनजाति” का आशय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति” से है।
- “अन्य पिछड़ा वर्ग (अ०पि०व०)” का आशय “उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग” से है।
- “विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति” का आशय “उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति” से है।
- “परीक्षा करने वाला निकाय” का आशय “उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ईकाई “परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज, इलाहाबाद” से है।

## **4- परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप –**

- परीक्षा की अवधि ढाई घण्टा अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।
- परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होगे।
- नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
- परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। परीक्षा दो दिवसों में प्रत्येक वर्ष जनवरी-फरवरी माह में आयोजित होगी।

## **5- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम:-**

1. अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगइन करके केवल आनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन फार्म की प्रस्तुति से पहले निम्नलिखित तैयारियाँ आवश्यक हैं:-

- (क) अभ्यर्थी के पास आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जे०पी०ई०जी० प्रारूप में) अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए।
- (ख) आवेदन पत्र पूरित करने से पूर्व अभ्यर्थी को ई-चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (U.P.,TET) के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- (ग) शुल्क जमा करने के बाद आवेदनपत्र की अन्तिम प्रस्तुति के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करते समय डिपाजिट स्लिप जिस पर आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या, बैंक का नाम एवं पता ब्रांच कोड सहित / पोस्ट ऑफिस पिन कोड सहित जहाँ शुल्क जमा किया गया हो और ट्रान्जेक्शन आई.डी. संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे।

## 6- पात्रता

यू०पी० टी०ई०टी० में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं:-

### 6.1. कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता:-

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय बी०टी०सी० अथवा (N.C.T.E.)/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) के अन्तिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अथवा दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम-ए- उर्दू उपाधि धारक (उर्दू शिक्षक हेतु)।

#### अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) के अंतिम वर्ष शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### 6.2. कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (U.P.TET) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता:-

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय बी०टी०सी० के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) या एल०टी० में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में बी०एड० विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई./यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड. के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

#### अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

## अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

6.3. कक्षा एक से पाँच तथा 6 से 8 तक निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का कोड सहित विवरण परिशिष्ट- I में दिया गया है।

### 6.4. टिप्पणी:-

- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों के छूट की अनुमति होगी।
- (ii) इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।
- (iii) डी०एड० (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (iv) ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू हैं। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेगे जब तक एन.सी.टी.ई. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है।
- (v) ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी०एड०) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू०पी०टी०ई०टी० प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।
- (vi) ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

### 7. यू०पी०टी०ई०टी० की संरचना व विषय वस्तु:-

7.1 यू०पी०टी०ई०टी० में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा। यू०पीटीई०टी के दो पेपर होंगे।

- (i) प्रथम प्रश्न पत्र (Paper-Ist) ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं (प्राथमिक स्तर)।

- (ii) द्वितीय प्रश्न पत्र (Paper-IIInd) ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं (उच्च प्राथमिक स्तर)।
- (iii) ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनों पेपरों (Paper-I and Paper-II) में शामिल होना होगा।

### 7.2 प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिए):-

- (i) परीक्षा की अवधि ढाई घण्टा अर्थात् 150 मिनट होगी।
- (ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक)	30 MCQs	30
4.	गणित	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन	30 MCQs	30
	कुल	150 MCQs	150 अंक

- (iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर
- (क) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रांसगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगी। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अन्तर्क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर के गुणवत्ताओं और गुणों पर केन्द्रित होंगी।
- (ख) भाषा— I में प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगी।
- (ग) भाषा— II भाषा— I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा— II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्बन्धण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगी।
- (घ) गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण-विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगी। इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।
- (ङ) पेपर I के लिये परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किन्तु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

### 7.3 द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक के लिए)

- (i) परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।
- (ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र०सं०	विषय सूची	प्रश्नों की सं०	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30MCQs	30

2.	भाषा I (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा II (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
कुल			150 MCQs 150

### (iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

- (1) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होगी। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करने तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर के गुणवत्ताओं और गुणों पर केन्द्रित होंगी।
- (2) भाषा I में प्रश्न, अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगी।
- (3) भाषा II, भाषा I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगी।
- (4) गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझपर केन्द्रित होंगी। गणित और विज्ञान में प्रश्न 30-30 अंकों की होगी। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित उस विषयों के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।
- (5) प्रश्न पत्र II के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे किन्तु उनका कठिनाई स्तर व संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।
- 7.4. उपर्युक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम "परिशिष्ट- ॥" में दिये गये हैं।
8. प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिन्दी होगा।

### 9. अर्हक अंक –

- 9.1 UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंक का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात् 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- 9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- 9.3 UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

9.4 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में गलत सूचना आंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज/भाषा विकल्प/पार्ट-IV (विज्ञान/गणित या समाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को अनुसरण करें।

9.5 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।

**10. अनुप्रयोज्यता (Applicability)** – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :-

#### 10.1 प्राथमिक स्तर –

- (i) ऐसे सभी विद्यालयों जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
- (ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो।
- (iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।
- (iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

#### 10.2 उच्च प्राथमिक स्तर –

- (i) ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
- (ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो।
- (iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।
- (iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो।

#### 11. यू०पी०टी०ई०टी० प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि:-

- 11.1 नियुक्ति के लिए यू०पी०टी०ई०टी० अर्हक प्रमाण-पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक होगी।
- 11.2 यू०पी०टी०ई०टी० प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 11.3 अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो 'सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज इलाहाबाद में देय हो, के द्वारा 300.00 रु० का भुगतान करके अंक तालिका या प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

11.4 प्रमाण पत्र के नष्ट होने/खो जाने अथवा प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अथवा माता के नाम में यदि कोई गलत प्रविष्टि किसी अविचारित लिपकीय भूल व वर्तनी त्रुटि हो तो प्रमाण पत्र में संशोधन, शासनादेश सं0 33/15-11-2014-2750/12 दिनांक 09.01.2014 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

11.5 प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग (जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा अतः इसे सावधानी पूर्वक भरें।

11.6 द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पत्रजात प्रस्तुत करना होगा –

- (i) हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथि के लिए)
- (ii) प्रशिक्षण में शामिल प्रमाण पत्र/अन्तिम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (iii) जाति प्रमाण पत्र
- (iv) विकलांगता प्रमाण पत्र
- (v) प्रमाण पत्र खोने का समाचार पत्र में विज्ञाप्ति
- (vi) टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र खोने की एफ0आई0आर0 कापी।

#### प्रवेश पत्र का प्रेषण:-

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पूर्व परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे, जिहें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउन लोड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### 13. परीक्षा का आयोजन

#### 13.1 परीक्षा केन्द्र का निर्धारण –

(i) "शिक्षक पात्रता परीक्षा-उत्तर प्रदेश" (UP-TET) प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं देखरेख में जनपद स्तर पर आयोजित कराई जायेगी। जनपद स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

(क)	जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(ग)	प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	सदस्य
(घ)	जिला विद्यालय निरीक्षक	—	सदस्य सचिव
(च)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशन में जनपद स्तर पर केन्द्र का निर्धारण कर परीक्षा शुचितापूर्वक सम्पन्न करायी जायेगी।

- (iii) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को ही परीक्षाकेन्द्र बनाया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर स्थित अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा अच्छी ख्याति के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण यथा सम्भव शहरी क्षेत्र में कराया जायेगा, जिससे सुरक्षा की सुविधा व्यवस्था हो सके।
- (iv) परीक्षा केन्द्र ऐसे इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा बड़े हवादार कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने का पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा। समिति द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे।
- (iv) आवेदन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रत्येक जनपद के आवेदकों की संख्या सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सचिव, केन्द्र निर्धारण समिति को संसूचित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उक्त संख्या के आधार पर जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों में) समिति के अनुमोदनोपरांत सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

### 13.2— परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठक :-

- (i) जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। जनपद में परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी का होगा।
- (ii) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल के समस्त जनपदों में उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल के समस्त जनपदों की सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन को प्रेषित की जायेगी।

### 14. प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख-रखाव:-

- 14.1. सभी जनपद मुख्यालयों पर परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकार्ये जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी जिन्हें कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जायेगा।
- 14.2 प्रश्नपत्रों को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।
- 14.3 परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट दो घंटे पूर्व केन्द्र व्यवस्थापक को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिये जायेंगे। प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में

खोला जायेगा तथा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी।

14.4 परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों के SCAN किये हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में ओ०एम०आर० फार्म का क्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका सीरीज अंकित किया जायेगा एवं आवेदक के हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठा निशान भी यथा स्थान लिया जायेगा।

14.5 परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रयुक्त ओ०एम०आर० उत्तर पुस्तिका के अन्दर सील्ड करके उपलब्ध करायेंगे। अनुपस्थित विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसमें से एक प्रति केन्द्र व्यवस्थापक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के समय मूल्यांकन एजेन्सी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे किसी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

14.6 अभ्यर्थियों द्वारा ओ०एम०आर०शीट को रिक्त (Blank) छोड़े जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः ओ०एम०आर० शीट में अंत में निर्दिष्ट स्थान पर हल किये गये प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अभ्यर्थी द्वारा अंकित की जायेगी।

15. परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया और ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक का प्रयोग :-

15.1. परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया और प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तरपुस्तिका के प्रयोग के लिए अनुदेश परिशिष्ट - III में दिये गये हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए जाने से पहले इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।

16. परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण :-

16.1 परीक्षा दो दिन में आयोजित होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल व कार्बन अनुपस्थिति विवरण के साथ अलग-अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने तथा तीसरे दिन कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पत्रकों के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

16.2 उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पत्रक को गंतव्य तक पहुँचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

16.3 उत्तर पत्रक (OMR) तीन प्रतियों में होगा, जिसमें प्रथम प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हेतु लाल रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। समस्त उत्तर पत्रकों

(उत्तर पुस्तिकारों के सील्ड बंडल) को परीक्षा समाप्त होने पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त कराया जायेगा।

#### 17. परीक्षा केन्द्रों पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था:-

17.1 प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख-रखाव, सचलदल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु ₹ 30,000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक व कोषाधिकारी के लिए ₹ 2000.00 प्रत्येक का मानदेय सम्मिलित है। इस धनराशि से परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों एवं डबल लॉक में कोषागार कर्मियों तथा कार्यालय कर्मियों को भी मानदेय दिया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 750.00 रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500.00 रुपये मानदेय देय होगा।

17.2 परीक्षा केन्द्र हेतु व्यादि की व्यवस्था:- परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापकों को उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि में परीक्षा कार्यों से जुड़े कर्मियों का मानदेय सम्मिलित नहीं है।

(i)	500 अभ्यर्थी	₹ 0 10,000/-
(ii)	501-700 अभ्यर्थी	₹ 0 14,000/-
(iii)	701-1000 अभ्यर्थी	₹ 0 20,000/-

उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय हेतु भुगतान नियमानुसार मितव्ययिता के साथ किया जाएगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

17.3 यदि किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऐसी सभी युक्ति संगत माँगों को संकलित करके संस्तुति सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को संदर्भित किया जाएगा।

17.4 मानदेय:-परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जाएगी।

(i)	जिला विद्यालय निरीक्षक	-	₹ 0 2000 प्रति पाली
(ii)	सचल दल प्रभारी	-	₹ 0 2000 प्रति पाली
(iii)	कोषाधिकारी	-	₹ 0 2000 प्रति पाली
(iv)	केन्द्र व्यवस्थापक	-	₹ 0 2000 प्रति पाली
(v)	कक्ष निरीक्षक (आवश्यकतानुसार)	-	₹ 0 750/- (प्रति कक्ष निरीक्षक / प्रति पाली)
(vi)	पर्यवेक्षक (02)	-	₹ 0 2000/- (प्रति पर्यवेक्षक / प्रति पाली)
	(जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन का एक-एक प्रतिनिधि)		
(vii)	सचल दल (3-5 सदस्य प्रति दल)	-	₹ 0 750/- (प्रति सदस्य / प्रति पाली)
(viii)	प्रश्नपत्र निर्माण के लिए मानदेय	-	₹ 0 60/- (प्रति प्रश्न)
(ix)	प्रश्न पत्रों के माडरेशन के लिए मानदेय	-	₹ 0 80/- (प्रति प्रश्न)

- (x) परीक्षा के बाद उत्तरमाला के प्रति प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए मानदेय— 2000 रु० प्रति सदस्य एक मुश्त होगा।
- (xi) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मियों को परीक्षा में लगाये जाने हेतु मानदेय:-  
 (i) अधिकारियों को 2000 रु० प्रतिदिन अधिकतम परीक्षा से तीन दिन पूर्व एवं तीन दिन बाद।  
 (ii) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 750 रु० प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।  
 (iii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 500 रु० प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

17.5 केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से 07 दिन पूर्व एक अनुमानित आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की माँग जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक परीक्षा से 03 दिन पूर्व यह धनराशि केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा के दिवस ही यथा सम्भव मानदेय की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 18. UPTET के लिए परीक्षा शुल्क :-

वर्ग	केवल पेपर I या II
सामान्य / अ.पि.व. श्रेणी	रु० 400/-
अ.जा. / अ.ज.जा	रु० 200/-

- 18.1 विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 18.2 जो अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्र, पेपर प्रथम (कक्षा—1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु) पेपर द्वितीय (कक्षा— 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु) में परीक्षा देना चाहते हो उन्हें अलग—अलग आवेदन करना होगा तथा प्रति परीक्षा के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क भी अलग—अलग जमा करना पड़ेगा।
- 18.3 आवेदन शुल्क राजकोष में जमा किया जायेगा तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए परीक्षा संस्था द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के विभिन्न मदों में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु बजट अनुमान तैयार कर बजट व्यवस्था करायी जायेगी तथा बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा में व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा एवं समस्त आय—व्यय का आडिट कराया जायेगा।
- 18.4 ऑन लाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश परिशिष्ट – IV में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
- 18.5 पुष्टिकरण पृष्ठ में किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को ऑनलाइन सुधार करने की अनुमति अवधि के दौरान छोड़कर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में एक बार भरे गए किसी ब्यौरे में किसी सुधार/संयोजन/विलोप के स्वीकार न किए जाने पर उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।
- 18.6 अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
- 18.7 अभ्यर्थियों को उनके निम्नलिखित ब्योरों में अन्तिम तिथि के दो सप्ताह तक ऑनलाइन सुधार करने की अनुमति होगी। जैसे – नाम, पिता तथा माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, विशेष आरक्षण श्रेणी,

पेपर विकल्प, पेपर II के लिए विषय, प्रथम परीक्षा केन्द्र के विकल्प, भाषा विकल्प, पत्राचार का पता और संस्था / कॉलेज / विश्वविद्यालय जहां से उसने शिक्षा में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त किया है।

- 18.8 शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 18.9 एक बार शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य की परीक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी / नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. भ्रामक, गलत अथवा असत्य सूचना देने पर परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
21. मशीन के माध्यम से ग्रेडिंग की जाने वाली उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओएमआर उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
22. विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं:- दृष्टि बाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा दी जा सकती है जो लिखने में अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो किन्तु श्रुत लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी।
- 22.1 जिस वर्ष परीक्षा हो रही है उसके एक वर्ष पहले या उसके एक वर्ष बाद इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही श्रुत लेखक हो सकते हैं।
- 22.2 विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत के विकलांग होने का प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा।
- 22.3 दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- 22.4 भ्रम की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा से पूर्व विशेषतः भूतल पर उचित बैठने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
- 22.5 प्रश्न पत्र देने का सही समय चिह्नित किया जाना चाहिए और नेत्रहीन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।
23. 60% या 90 अंक और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा आरक्षित श्रेणी में 55 प्रतिशत या 82 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया जायेगा।
24. परीक्षा के आयोजन हेतु अन्य व्यवस्थायें:-
- 24.1. परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण एनोआईसी०, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परीक्षा संस्था की देख-रेख तथा निर्देशन में किया जायेगा। वेबसाइट का संचालन परीक्षा संस्था द्वारा ही किया जायेगा।
- 24.2. परीक्षा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा, जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

- 24.3. अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों के समस्त संस्कारणों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- 24.4. ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रारूप एवं निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन पूरित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस जनपद से आवेदन पत्र पूरित कर परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, उस जनपद के नाम एवं कोड का अंकन आवेदन पत्र में निर्देशानुसार अंकित करना होगा। जनपद के नाम व उसके कोड का विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है।
- 24.5. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र पूरित करने के पूर्व उन्हें (राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में) ई-चालान के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश UPTET हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- 24.6. यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, तो उस अभ्यर्थी को अलग-अलग ऑन लाइन आवेदन पत्र भरना होगा तथा आवेदन पत्र में निर्धारित कोड का उल्लेख भी करना होगा।
- 24.7. ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।
25. छांटाई के नियम :— ओएमआर उत्तर-पुस्तिका सहित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे।
26. परीक्षा फलः—
- 26.1 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा चयनित कम्प्यूटर फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा जो अभ्यर्थी सफल घोषित होंगे उनके अनुक्रमांक से सम्बन्धित उत्तर पत्रक (OMR) का मूल्यांकन एक अन्य कम्प्यूटर फर्म से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कराया जायेगा और क्रास चेकिंग के पश्चात् ही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिणाम घोषित किया जायेगा।
- 26.2. उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक जाच के उपरान्त “परीक्षा संस्था” द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।
- 26.3. परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति तथा फोटो पहचान पत्र दिखाकर पात्रता प्रमाण पत्र जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकेंगे।

## 27. परीक्षा की समय सारिणीः—

क्र. सं.	कार्य	कार्य सम्पादित किये जाने का समय
1	विज्ञापन का प्रकाशन	नवम्बर माह का तृतीय सप्ताह
2	आन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक माह अर्थात् दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह
3	त्रुटि सुधार करने के लिए आवेदक को दिया जाने वाला समय	अन्तिम तिथि के बाद कम से कम एक सप्ताह अर्थात् दिसम्बर माह का अन्तिम सप्ताह
4	परीक्षा की तिथि	त्रुटि सुधार के लिए दिये गये समय के बाद कम से कम एक माह अर्थात् फरवरी माह का प्रथम सप्ताह

5	परीक्षाफल की घोषणा	परीक्षा तिथि से अधिकतम 4 सप्ताह के अन्तर्गत अर्थात् मार्च माह का अन्तिम सप्ताह
6	प्रमाण-पत्र का वितरण	परीक्षाफल घोषित होने के 4 सप्ताह के अन्तर्गत अर्थात् अप्रैल माह का अन्तिम सप्ताह

28. अस्थर्थी यू.पी.टीईटी की अपनी ओएमआर शीट/उत्तर कुंजी की फोटोकॉपी ₹ 500/- प्रति के शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट देकर प्राप्त कर सकता है। डिमांड ड्राफ्ट सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित और इलाहाबाद में देय हो।
29. कानूनी अधिकार क्षेत्र यूपीटीईटी के आयोजन से संबंधित सभी विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

### परिशिष्ट - I

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 6.3 का संलग्नक)

(क) कक्षा I से V के लिए शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं

यदि आप कक्षा I से V के लिए शिक्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उपयुक्त कोड लिखें।

कोड	शैक्षिक योग्यता
1	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय बी०टी०सी० के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण
2	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.)/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण
3	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
4	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
5	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम—ए— उर्दू उपाधि धारक (उर्दू शिक्षक हेतु)।	6
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) के अंतिम वर्ष शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।	7

(ख) कक्षा VI से VIII के लिए शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं यदि आप कक्षा VI से VIII के लिए शिक्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उपयुक्त कोड लिखें।

कोड	शैक्षिक योग्यता
1	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय बी०टी०सी० के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
2	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
3	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एल०टी० में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
4	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में बी०एड० विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
5	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई./यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी०एस०सी०एड० के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
6	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई./यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी०एस०सी०एड० के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
7	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
8	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) जो इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
9	विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

## परिशिष्ट-II (मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 7.4 का संलग्नक)

## यूपीटीईटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय—सूची

(पेपर I और पेपर II)

**पेपर I (कक्षा 1 से V के लिए) प्राथमिक स्तरः—**

I. बाल विकास और शिक्षण विधियाँ

30 प्रश्न

(क) बाल विकास (कक्षा 1 से 5, 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक)

15 प्रश्न

- विकास की अक्षारणा तथा अधिगम के साथ उसका सम्बन्ध
- बालकों के विकास के सिद्धांत
- आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव
- सामाजिकीकरण प्रक्रियाएँ : सामाजिक विश्व और बालक (शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण)
- पाइगेट, कोलबर्ग और वायगोट्स्की : निर्माण और विवेचित संदर्श
- बाल—केन्द्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएँ
- बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श
- बहु—आयामी बौद्धिकता
- भाषा और चिंतन
- समाज निर्माण के रूप में लिंग : लिंग भूमिकाएँ, लिंग—पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार
- शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना
- अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर; विद्यालय आधारित मूल्यांकन,
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : संदर्श और व्यवहार
- शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए; कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना।

ख) समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना

5 प्रश्न

- गैर—लाभप्राप्त और अवसर—वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना।
- अधिगम संबंधी समस्याएँ, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना।
- मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना।

ग) अधिगम और अध्यापन

10

प्रश्न

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएँ; बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ: सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम: अधिगम के सामाजिक संर्दू।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना: अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएँ
- प्रेरणा और अधिगम

- अधिगम में योगदान देने वाले कारक – निजी एवं पर्यावरणीय।

## II. भाषा ।

30 प्रश्न

### क) भाषा बोधगम्यता

15 प्रश्न

अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना – दो अनुच्छेद एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे (गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है)

### ख) भाषा विकास का अध्यापन

15 प्रश्न

- अधिगम और अर्जन
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत
- सुनने और बोलने की भूमिका: भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार
- भाषा कौशल
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- अध्यापन – अधिगम सामग्रियां : पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन
- उपचारात्मक अध्यापन

## III. भाषा – II

30 प्रश्न

### क) बोधगम्यता

15 प्रश्न

दो अनदेखे गद्य अनुच्छेद (तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक) जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे।

### ख) भाषा विकास का अध्यापन

15 प्रश्न

- अधिगम और अर्जन
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत

सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं

- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार
- भाषा कौशल
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- अध्यापन – अधिगम सामग्री : पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन
- उपचारात्मक अध्यापन

## IV. गणित

30 प्रश्न

### क) विषय-वस्तु

15 प्रश्न

- ज्यामिति
- आकार और स्थानिक समझ
- हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ
- संख्याएं
- जोड़ना और घटाना
- गुणा करना
- विभाजन
- मापन
- भार
- समय
- परिमाण
- आंकड़ा प्रबंधन
- पैटर्न
- राशि

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे

15 प्रश्न

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति; बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना
- पाठ्यचर्चा में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- सामुदायिक गणित
- औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन
- शिक्षण की समस्याएं
- त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू
- नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण

## V. पर्यावरणीय अध्ययन

30 प्रश्न

क) विषय—वस्तु

15 प्रश्न

1. परिवार और मित्र
  - 1.1 संबंध
  - 1.2 कार्य और खेल
  - 1.3 पशु
  - 1.4 पौधे
2. भोजन
3. आश्रय
4. पानी
5. भ्रमण

vi. वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे

15 प्रश्न

- पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति
- पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन
- पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा
- अधिगम सिद्धांत
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध
- अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण
- क्रियाकलाप
- प्रयोग/व्यावहारिक कार्य
- चर्चा
- सतत व्यापक मूल्यांकन
- शिक्षण सामग्री/उपकरण
- समस्याएं

**पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए) उच्च प्राथमिक स्तर**

**I. बाल विकास और अध्यापन**

30 प्रश्न

(क) बाल विकास (कक्षा 6 से 8, 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक)

15 प्रश्न

- विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध
- बालक के विकास के सिद्धांत
- आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव
- सामाजिकीकरण दबाव : सामाजिक विश्व और बालक (शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण)
- पाइगेट, कोलबर्ग और वायगोट्स्की : निर्माण और विवेचित संदर्श
- बाल—केन्द्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं
- बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श
- बहु—आयामी बौद्धिकता
- भाषा और चिंतन
- समाज निर्माण के रूप में लिंग : लिंग भूमिकाएं, लिंग—पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार
- शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना।
- अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर; विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : संदर्श और व्यवहार
- शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना।

(ख) समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना

5 प्रश्न

- गैर—लाभ प्राप्त और अवसर—वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना।
- अधिगम संबंधी समस्याओं, 'कठिनाई' रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना।

- मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना।

10 प्रश्न

#### (ग) अध्ययन और अध्यापन

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएँ; बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं
- प्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक – निजी एवं पर्यावरणीय।

30 प्रश्न

15 प्रश्न

#### II. भाषा ।

##### क) भाषा बोधगम्यता

अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना – दो अनुच्छेद एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे (गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है)

15 प्रश्न

##### ख) भाषा विकास का अध्यापन

- अधिगम अर्जन
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं
- मौखिक और लिखित रूप में विद्यार्थों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्शन
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार
- भाषा कौशल
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- अध्यापन – अधिगम सामग्रियां : पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन
- उपचारात्मक अध्यापन

30 प्रश्न

15 प्रश्न

#### III. भाषा – II

##### क) बोधगम्यता

दो अनदेखे गद्य अनुच्छेद (तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक) जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे

15 प्रश्न

##### ख) भाषा विकास का अध्यापन

- अधिगम और अर्जन
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत

- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्शन
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार
- भाषा कौशल
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- अध्यापन— अधिगम सामग्री : पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन
- उपचारात्मक अध्यापन

**IV. (क) गणित एवं विज्ञान :**

60 प्रश्न

- |   |           |
|---|-----------|
| (i) गणित  | 30 प्रश्न |
| क) विषय-वस्तु   | 20 प्रश्न |
| ● अंक प्रणाली   |           |
| (i) अंकों को समझना  |           |
| (ii) अंकों के साथ खेलना   |           |
| (iii) पूर्ण अंक   |           |
| (iv) नकारात्मक अंक और पूर्णांक  |           |
| (v) भिन्न   |           |
| ● बीजगणित   |           |
| (i) बीजगणित का परिचय  |           |
| (ii) समानुपात और अनुपात   |           |
| ● ज्यामिति  |           |
| (i) मूलभूत ज्यामितिक विचार (2-डी)                                       |           |
| (ii) बुनियादी आकारों को समझना   |           |
| (iii) सममिति  |           |
| (iv) निर्माण (सीधे किनारे वाले मापक, कोणमापक, परकार का प्रयोग करते हुए) |           |
| ● क्षेत्रमिति   |           |
| (i) आंकड़ा प्रबंधन  |           |
| (ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे   | 10        |

प्रश्न

- गणितीय/ तार्किक चिंतन की प्रकृति
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- सामुदायिक गणित
- मूल्यांकन
- उपचारात्मक शिक्षण
- शिक्षण की समस्याएं

## (ii) विज्ञान

प्रश्न

20

## (क) विषय-वस्तु

प्रश्न

## I. भोजन

- भोजन के स्रोत
- भोजन के अवयव
- भोजन को स्वच्छ करना

## II. सामग्री

- दैनिक प्रयोग की सामग्री

## III. जीव-जंतुओं की दुनिया

## IV. सचल वस्तुएँ, लोग और विचार

## V. चीजें कैसे कार्य करती हैं

- विद्युत करंट और सर्किट
- चुंबक

## VI. प्राकृतिक पद्धति

## VII. प्राकृतिक संसाधन

## ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे

10

प्रश्न

- विज्ञान की प्रकृति और संरचना
- प्राकृतिक विज्ञान / लक्ष्य और उद्देश्य
- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना
- दृष्टिकोण / एकीकृत दृष्टिकोण
- प्रेक्षण / प्रयोग / अन्वेषण (विज्ञान की पद्धति)
- अभिनवता
- पाठ्यचर्या सामग्री / सहायता-सामग्री
- मूल्यांकन - संज्ञात्मक / मनोप्रेरक / प्रभावन
- समस्याएँ
- उपचारात्मक शिक्षण

## V. सामाजिक अध्ययन

## क) विषय-वस्तु

## I. इतिहास

- कब, कहाँ और कैसे
- प्रारंभिक समाज
- प्रथम कृषक और चरवाहे
- प्रथम शहर
- प्रारंभिक राज्य

60 प्रश्न

40 प्रश्न

- नए विचार
- प्रथम साम्राज्य
- सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संगर्क
- राजनीतिक गतिविधियाँ
- संस्कृति और विज्ञान
- नए सम्राट और साम्राज्य
- दिल्ली के सुल्तान
- वास्तुकला
- साम्राज्य का सृजन
- सामाजिक परिवर्तन
- क्षेत्रीय संस्कृतियाँ
- कम्पनी शासन की स्थापना
- ग्रामीण जीवन और समाज
- उपानेवेशवाद और जनजातीय समाज
- 1857-58 का विद्रोह
- महिलाएं और सुधार
- जाति व्यवस्था को चुनौती
- राष्ट्रवादी आंदोलन
- स्वतंत्रता के पश्चात भारत

## II. भूगोल

- एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल
- ग्रह : सौरमण्डल में पृथ्वी
- अपनी समग्रता में पर्यावरण : प्राकृतिक और मानव पर्यावरण
- वायु
- जल
- मानव पर्यावरण : बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण
- संसाधन : प्रकार - प्राकृतिक एवं मानवीय
- कृषि

## III. सामाजिक और राजनीतिक जीवन

- विविधता
- सरकार
- स्थानीय सरकार
- आजीविका हासिल करना
- लोकतंत्र
- राज्य सरकार

- मीडिया को समझना
- लिंग-भेद समाप्ति
- संविधान
- संसदीय सरकार
- न्यायपालिका
- सामाजिक न्याय और सीमांत लोग

20 प्रश्न

#### ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे

- सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति
- कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान
- विवेचित चिंतन का विकास करना
- पूछताछ / अनुभवजन्य साक्ष्य
- सामाजिक विज्ञान / सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं
- स्रोत - प्राथमिक और माध्यमिक
- प्रोजेक्ट कार्य
- मूल्यांकन

टिप्पणी : कक्षा I से VIII तक की विस्तृत पाठ्यचर्चा के लिए कृपया वैसिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें।

#### परिशिष्ट- III

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 15.1 का संलग्नक)

#### क. यूपीटीईटी के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया

1. परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ट्रेफिक जाम, ट्रेन/बस की देरी इत्यादि के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह संभव है कि वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को सुनने से बंचित हो जाएं।
2. अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रवेश के लिए मांगे जाने पर यूपीटीईटी वेबसाइट से डाउनलोड उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा। यदि अभ्यर्थी को अपने लिए आवंटित सीट को तलाशना होगा और केवल उसी पर ही बैठना होगा। यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने उसे आवंटित किए गए अपने कमरे अथवा सीट को बदला है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द कर दी जायेगी और इसके लिए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरम्भ होने के पश्चात आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश-पत्र तथा काले बॉल व्हाइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की प्रेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के

रूप में माना जाएगा और उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए भी विवर्जित कर दिया जाएगा और वह सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

6. केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर-पुस्तिकाएं डियूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष/हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।
7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक बिल्पबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें उत्तर-पुस्तिकाओं पर अपने उत्तर अंकित करने में कोई कठिनाई न हो। उन्हें अपने साथ अच्छी घालिटी के बॉल प्वाइंट पेन (काला) लाने चाहिए। इन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
8. परीक्षा हॉल/कक्ष में धूम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।
9. परीक्षा घंटों के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, कॉफी, शीतल पेय आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।
10. पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट-बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका रखी होगी।
11. टेस्ट-बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक टेस्ट-बुकलेट को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

### परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश

12. पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट-बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर-पत्रक सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर-पत्रक पर अंकित टेस्ट-बुकलेट कोड वही है जो टेस्ट-बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट-बुकलेट और उत्तर-पत्रक को बदलने के लिए परीक्षा निरीक्षक को देनी चाहिए।
13. इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक पर अपने विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पैसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पैसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर-पत्रक अस्थीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।
14. परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश-पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।
15. परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक उत्तर-पत्रक पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

### अनुचित तरीके :

16. अभ्यर्थी बिल्कुल शांत रहेंगे तथा केवल अपने प्रश्न-पत्र को ही ध्यान लगाकर हल करेंगे। परीक्षा कक्ष/हॉल में किसी प्रकार के वार्तालाप, इशारे अथवा व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा। यदि

कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे अपसाध की प्रकृति के अनुरूप यदि किसी अभ्यर्थी के पास उक्त पैरा-5 में उल्लिखित कोई मद (मदें) पाई जाती हैं, तो विद्यमान परीक्षा से उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा वह भावी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए विवर्जित किए जाने का पात्र भी होगा।

17. पेपर को समाप्त करने के उपरांत तथा उत्तर-पत्रक सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को पुनः यह जांच कर लेनी चाहिए कि उत्तर-पत्रक में अपेक्षित सभी विवरण सही-सही लिखे गए हैं।
18. परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।
19. अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि टेस्ट-बुकलेट में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि टेस्ट-बुकलेट के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी टेस्ट-बुकलेट से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई का पात्र होगा।
20. अभ्यर्थी को उपस्थिति-पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

#### ख. टेस्ट-बुकलेट तथा उत्तर-पत्रक का प्रयोग करने के लिए अनुदेश

1. अभ्यर्थी को सीलबंद टेस्ट-बुकलेट के भीतर उत्तर-पत्रक प्राप्त होगा। निरीक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर ही अभ्यर्थी द्वारा सील को तोड़ा/खोला जाएगा तथा उत्तर-पत्रक को बाहर निकाला जाएगा। घोषणा से पहले सील न खोलें/तोड़ें।
2. प्रश्न पुस्तिका पर एक पूर्व-मुद्रित टेस्ट-बुकलेट कोड होगा जैसे A, B, C, D या P,Q,R,S। अभ्यर्थी को यह जांच करनी होगी कि उत्तर-पत्रक पर पूर्व-मुद्रित टेस्ट-बुकलेट संख्या वही है जो टेस्ट-बुकलेट पर मुद्रित है।
3. प्रयोग में लाया जाने वाला उत्तर-पत्रक विशेष प्रकार का होगा जिसे 'आप्टिकल स्कैनर' पर स्कैन किया जाएगा।

उत्तर-पत्रक में निम्नलिखित कॉलम होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा केवल काले बॉल प्याइंट पेन से साफ-साफ और सही-सही भरा जाना है। पेसिल के प्रयोग की मनाही है।

- (i) अभ्यर्थी का नाम
- (ii) पिता/पति का नाम
- (iii) माता का नाम
- (iv) केन्द्र संख्या
- (v) परीक्षा केन्द्र का नाम
- (vi) कटेगरी
- (vii) रोल नम्बर
- (viii) टेस्ट बुकलेट संख्या।
- (ix) प्रश्न पुस्तिका सीरीज
- (x) भाषा विकल्प
- (xi) कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर
- (xii) अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
- (xiii) पेपर-II के लिए चुना गया विषय (केवल पेपर-II के मामले में)

उत्तर को अंकित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:-

i) प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए केवल एक वृत्त को काले बॉल प्लाइंट पेन से पूरी तरह से गहरा करना होगा। उदाहरण के लिए टेस्ट बुकलेट में प्रश्न संख्या 008 इस प्रकार है :

नेपाल की राजधानी है-

- (1) काठमांडू
- (2) दुबई
- (3) टोक्यो
- (4) डिब्बुगढ़

इस प्रश्न का सही उत्तर (1) काठमांडू है। अभ्यर्थी को उत्तर-पत्रक में प्रश्न संख्या 008 दूँड़ना होगा तथा वृत्त 1 को नीचे दर्शाए गए अनुसार गहरा करना होगा:

008 ● ② ③ ④

ii) उपर्युक्त वृत्त को पूरी तरह से गहरा करने के लिए काले बॉल प्लाइंट पेन का प्रयोग करें अर्थात् एक प्रविष्टि के लिए एक वृत्त।

iii) एक बार अंकित किया गया उत्तर बदला नहीं जा सकेगा। पेंसिल का प्रयोग पूरी तरह से मना है। यदि अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक को गहरा करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उसका उत्तर-पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

iv) हल्का तथा धुंधली तरह से गहरा किया गया वृत्त मार्किंग की गलत पद्धति माना जाएगा तथा ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

v) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे उस प्रश्न के समुख दिए गए वृत्तों में से किसी को भी गहरा नहीं करना चाहिए।

vi) कृपया उत्तर-पत्रक को मोड़े नहीं तथा उस पर कोई अवांछनीय निशान भी न लगाएं।

#### 4. रफ कार्य

अभ्यर्थी को उत्तर-पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। समस्त रफ कार्य केवल टेस्ट बुकलेट पर ही किया जाना है।

#### 5. उत्तर में परिवर्तन की अनुमति नहीं है

अभ्यर्थी को उपर्युक्त वृत्त को गहरा करने से पूर्व उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार मार्क कर दिए गए उत्तर में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है क्योंकि उत्तर-पत्रक मशीन ग्रेडेबल है और इससे गलत मूल्यांकन हो सकता है जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी पर ही होगा।

6. परीक्षा समाप्त होने के तुरंत पश्चात उत्तर-पत्रक को सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्ष्य के रूप में उपस्थिति-पत्रक में अवश्य ही हस्ताक्षर करने चाहिए। परीक्षार्थी को टेस्ट-बुकलेट साथ ले जाने की अनुमति है।

7. मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर-पत्रक की गैर-अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट के साथ उत्तर-पत्रक को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी का परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।

8. अभ्यर्थी उत्तर पत्रक के नीचे दिये कालम में हल किये गये प्रश्नों की संख्या अवश्य लिखें।

#### परिशिष्ट - IV

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 18.1 का संलग्नक)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश

यूपीटीईटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार से अपेक्षा है:-

1. इस वर्ष यूपीटीईटी 2014 के लिए आवेदन में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की सुविधा के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। सभी विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरते समय फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जेपीईजी प्रारूप में) का स्कैन अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी की तस्वीर (जेपीईजी प्रारूप) और हस्ताक्षर स्कैन करके रखने की सलाह दी जाती है।
2. सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसमें दी गई सभी अपेक्षाओं से अवगत होना।
3. परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता से संतुष्ट होना;
4. किसी भी वेबसाइट पर जाकर पूरा ब्योरा देकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।
5. ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आश्वस्त होना।
6. आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड सहित पूरा डाक का पता लिखें।
7. यूपीटीईटी के लिए प्रस्तावित भाषाएं दो भाषाएं दर्शाएं जिनमें आप यूपीटीईटी में शामिल होना चाहते हैं। प्रस्तावित भाषाओं की सूची इस प्रकार है:-

भाषा	कोड
हिंदी	01
उर्दू	02
संस्कृत	03
अंग्रेजी	04

टिप्पणी : उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित के अनुसार उसके द्वारा चुनी गई भाषाओं में प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि प्रश्नों का उत्तर अन्य भाषाओं में दिया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में माध्यम में परिवर्तन के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

### 9. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि

- वेबसाइट पर लॉगआन करें।
- “Apply on line” लिंक पर जाएं और उसे खोलें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेशों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चार लिंक दिए गए हैं:
  - (क) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग-। भरें और पंजीकरण संख्या नोट करें।
  - (ख) शुल्क का भुगतान ई-चालान के माध्यम से नामनिर्दिष्ट खाता में करें।
  - (ग) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग-III में स्कैन फोटो और हस्ताक्षर इमेज अपलोड करें।
  - (घ) पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लें और अपने पास सुरक्षित रखें।
- प्रथम लिंक को खोलें, अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और सूचना प्रस्तुत करें। इस पृष्ठ के अंत में दो लिंक “Next” और “Reset” दिए गए हैं। यदि आप संतुष्ट हैं कि भरी गई सूचना सही है तब “Next” बिलक करें अन्यथा “Reset” पर बिलक करें। “Next” खोलने के बाद, प्रस्तुत सूचना

की जांच की जा सकती है और यदि सूचना सही है तो “Final submit” के लिए जाएं अन्यथा “Back” के लिए जाएं।

- डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः ही भाग ॥ फोटो और हस्ताक्षर के लिए दूसरे लिंक पर ले जाएगा ।
- डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः शुल्क भुगतान के लिए तीसरे लिंक के लिए ले जाएगा ।
- अनुदेश का पालन करें और शुल्क प्रस्तुत करें। शुल्क की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लेने के लिए चौथे लिंक पर ले जाएगा।
- अभ्यर्थी का ब्यौरा फीस के भुगतान के बिना सम्पादित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के ब्यौरा एक बार फीस प्रस्तुत करने पर बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद ब्यौरे में सुधार के लिए निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन सुधार की अनुमति दी जाएगी।
- आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड और पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लेने के लिए सभी चारों लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने शुल्क का भुगतान करने और कम्प्यूटर सर्जित पुष्टीकरण पृष्ठ के प्रिंटिंग की सुविधा प्रत्येक स्लॉट के अंतिम दिवस को 02.00 (अपराह्न) बजे बंद कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है।
- नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सर्जित पुष्टीकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को प्राप्त नहीं होता है अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

### परिशिष्ट – V

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 24.4 का संलग्नक)

जनपद कोड : क्रम संख्या ही कोड है

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम
1.	आगरा	39.	झाँसी
2.	हाथरस	40.	ललितपुर
3.	अलीगढ़	41.	जालौन
4.	मथुरा	42.	वाराणसी
5.	फिरोजाबाद	43.	चन्दौली
6.	मैनपुरी	44.	जौनपुर
7.	एटा	45.	गाजीपुर
8.	बरेली	46.	मिरजापुर
9.	बदायू	47.	सोनभद्र
10.	शाहजहाँपुर	48.	संतरविदासनगर
11.	पीलीभीत	49.	आजमगढ़
12.	मुरादाबाद	50.	मऊ
13.	अमरोहा	51.	बलिया

14.	रामपुर	52.	गोरखपुर
15.	बिजनौर	53.	महाराजगंज
16.	कानपुरनगर	54.	देवरिया
17.	कानपुरदेहात	55.	कुशीनगर
18.	कन्नौज	56.	बस्ती
19.	फर्रुखाबाद	57.	संतकबीरनगर
20.	आरैया	58.	सिद्धार्थनगर
21.	इटावा	59.	फैजाबाद
22.	मेरठ	60.	अम्बेडकरनगर
23.	बागपत	61.	सुल्तानपुर
24.	गाजियाबाद	62.	बाराबंकी
25.	गौतमबुद्धनगर	63.	गोणडा
26.	बुलन्दशहर	64.	बलरामपुर
27.	मुजफ्फरनगर	65.	बहराइच
28.	सहारनपुर	66.	श्रावस्ती
29.	लखनऊ	67.	चित्रकूट
30.	उन्नाव	68.	बांदा
31.	रायबरेली	69.	महोबा
32.	सीतापुर	70.	हमीरपुर
33.	हरदोई	71.	अमेठी
34.	लखीमपुरखीरी	72.	कांसगंज
35.	इलाहाबाद	73.	शामली
36.	कौशाम्बी	74.	हापुड़
37.	फतेहपुर	75.	सम्भल
38.	प्रतापगढ़		